

सरयू नहर खण्ड-6 बस्ती
राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2 बस्ती
सरयू परियोजना-2, सिंचाई विभाग उ०प्र० गोण्डा

खलीलाबाद शाखा प्रणाली (किमी० 20.00 से 30.00 एवं किमी० 66.00 से 76.00 तक) का वर्ष 2013-2014 रबी 1421 फसली का रोस्टर

क्र०सं०	नहर का नाम	उद्गम स्थल			लाभान्वित जनपद	परिकल्पित शीर्ष डिस्चार्ज (क्यूसेक)	वर्तमान में वास्तविक शीर्ष क्षमता (क्यूसेक)	सी०सी०ए० (हे०)	पी०पी०ए० (हे०) रवी	चलित लम्बाई		शीर्ष से चलने का दिन	साप्ताहिक नहर प्रारम्भ होने का दिनांक																																	
		किमी	किनारा	मातृ नहर						मुख्य नहर	प्रणाली		28.11.2013	03.12.2013	10.12.2013	17.12.2013	24.12.2013	31.12.2013	07.01.2014	14.01.2014	21.01.2014	28.01.2014	04.02.2014	11.02.2014	18.02.2014	25.02.2014	04.03.2014	11.03.2014	18.03.2014	25.03.2014																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
1	खलीलाबाद शाखा प्रणाली किमी० 20.00 से 30.00 तक	116.2		बस्ती शाखा	बस्ती	1820	400	505	202	10.00	-	मंगलवार	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च																	
2	मदरहना माइनर	20.100	L	खलीलाबाद शाखा	बस्ती	5.00	5.00	315	172	-	3.092		च	च	च	च	-	च	च	-	च	च	-	-	च	च	-	-	च	च																
3	बलदेवजोत माइनर	22.100	L	खलीलाबाद शाखा	बस्ती	3.50	3.50	200	180	-	2.7		च	च	च	च	-	च	च	-	च	च	-	-	च	च	-	-	च	च																
4	परसा तिवारी माइनर	23.600	L	खलीलाबाद शाखा	बस्ती	4.00	4.00	280	112	-	3.270		च	च	च	च	-	च	च	-	च	च	-	-	-	च	च	-	-	च	च															
5	रौना राजवाहा	28.200	L	खलीलाबाद शाखा	बस्ती	48.03	28.25	1026	410	-	6.522		च	च	च	च	-	च	च	-	च	च	-	-	च	च	-	-	च	च																
6	खम्हरिया माइनर	25.250	L		बस्ती	3.10	1.69	220	88	-	1.909		च	च	च	च	-	च	च	-	च	च	-	-	च	च	-	-	च	च																
7	खलीलाबाद शाखा प्रणाली किमी० 66.00 से 76.00 तक		L	-	स०क०न०	10	400	734	294	10.00	10.00		-	च	च	च	च	-	च	पानी उपलब्ध होने पर																										
8	रामपुर राजवाहा	67.050	L	खलीलाबाद शाखा	स०क०न०		6.00	919	367	-	7.38		-	च	च	च	-	च																												
9	गोलहटा राजवाहा	67.550	R	खलीलाबाद शाखा	स०क०न०	24.00	12.00	590	236	-	2.098		-	च	च	च	-	च																												
10	धौरहरा माइनर	1.255	L	गोलहटा	स०क०न०	5.00	5.00	323	129	-	3.80		-	च	च	च	-	च																												

- (-) का तात्पर्य नहर बन्द है।
- सरयू नहर खण्ड-प्रथम, बॉसी, सिद्धार्थनगर तथा सरयू नहर खण्ड-4 बस्ती से पानी उपलब्ध होने पर नहरो को चलाया जाना प्रस्तावित है।
- रोस्टर में जो नहरे ली गयी है वह 400 क्यूसेक जल उपलब्धता के आधार पर है। जल में कमी अथवा अधिकता होने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।
- किसी कारणवश नहरो के बन्द होने की दशा में सफल क्षतिपूर्ति के लिए सिंचाई विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

नोडल अधिकारी
सरयू नहर खण्ड-2 बस्ती

जिला कृषि अधिकारी
बस्ती

(एन०पी० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड-6 बस्ती

अधीक्षण अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2
बस्ती

मुख्य विकास अधिकारी
बस्ती

जिलाधिकारी
बस्ती

क्र. सं.	नाम	पद	स्थान	दिन	नहर की मांग
1.	श्री एन0 पी0 सिंह	अधीक्षासी अभियन्ता	बस्ती	प्रत्येक दिन	खलीलाबाद शाखा प्रणाली (नर्मदा) से 30.00 तक एवं 68.00 से 78.00 तथा समस्त-ऑरिण्डा एवं राजवाहा।
2.	श्री आर0पी0 सिंह	सहाय अभियन्ता/कृषि	बस्ती	प्रत्येक दिन	खलीलाबाद शाखा प्रणाली 20.00 से 25.00 तक मद्रहना माइनर एवं बदेवाजोत माइनर, खलीलाबाद शाखा प्रणाली एवं पेरसा परसा प्रणाली एवं रामपुर राजवाहा।
3.	श्री कुमार/शर	सहाय अभियन्ता/द्वितीय	बस्ती	प्रत्येक दिन	खलीलाबाद शाखा प्रणाली 20.00 से 30.00 तक तथा पेरसा परसा प्रणाली एवं रामपुर राजवाहा।
4.	श्री अरविन्द कुमार वर्मा	अवर अभियन्ता	बस्ती	प्रत्येक दिन	खलीलाबाद शाखा प्रणाली 20.00 से 25.00 तक तथा मद्रहना माइनर एवं बदेवाजोत माइनर।
5.	श्री राजेश्वर	अवर अभियन्ता	बस्ती	प्रत्येक दिन	खलीलाबाद शाखा प्रणाली 20.00 से 30.00 तक तथा पेरसा प्रणाली एवं रामपुर राजवाहा।
6.	श्री अजय कुमार वर्मा	अवर अभियन्ता	बस्ती	प्रत्येक दिन	खलीलाबाद शाखा प्रणाली 20.00 से 30.00 तक तथा पेरसा प्रणाली एवं रामपुर राजवाहा।
7.	श्री रामायण तिवारी	जिल्दार	बस्ती	प्रत्येक दिन	खलीलाबाद शाखा प्रणाली 20.00 से 30.00 तक तथा पेरसा प्रणाली एवं रामपुर राजवाहा।
8.	श्री मुन्ताज अली	सींचापर्यवेक्षण	बस्ती	प्रत्येक दिन	खलीलाबाद शाखा प्रणाली 20.00 से 30.00 तक तथा पेरसा प्रणाली एवं रामपुर राजवाहा।
9.	श्री मुन्ताज अली	सींचापर्यवेक्षण	बस्ती	प्रत्येक दिन	खलीलाबाद शाखा प्रणाली 20.00 से 30.00 तक तथा पेरसा प्रणाली एवं रामपुर राजवाहा।
10.	श्री मुन्ताज अली	सींचापर्यवेक्षण	बस्ती	प्रत्येक दिन	खलीलाबाद शाखा प्रणाली 20.00 से 30.00 तक तथा पेरसा प्रणाली एवं रामपुर राजवाहा।
11.	श्री रामशब्द	सींचापाल	बस्ती	प्रत्येक दिन	श्री मुन्ताज अली सींचापर्यवेक्षण से सम्बन्धित देख रेख में सींच दर्ज एवं पैमाहूर सम्पन्न करायेंगे।
12.	श्री सीताराम पाण्डेय	सींचापाल	बस्ती	प्रत्येक दिन	श्री मुन्ताज अली सींचापर्यवेक्षण से सम्बन्धित देख रेख में सींच दर्ज एवं पैमाहूर सम्पन्न करायेंगे।
13.	श्री सुरेन्द्र कुमार चौबरी	सींचापाल	बस्ती	प्रत्येक दिन	श्री मुन्ताज अली सींचापर्यवेक्षण से सम्बन्धित देख रेख में सींच दर्ज एवं पैमाहूर सम्पन्न करायेंगे।
14.	श्री सुभाषचंद्र	सींचापाल	बस्ती	प्रत्येक दिन	श्री मुन्ताज अली सींचापर्यवेक्षण से सम्बन्धित देख रेख में सींच दर्ज एवं पैमाहूर सम्पन्न करायेंगे।

(इं0 एन0पी0 सिंह)
अधीक्षासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड-6, बस्ती

कृषक बन्धु :-

1. प्रदेश का अधिकांश भाग खेती पर निर्भर करता है। उन्नत खेती के लिए पानी की आवश्यकता है। एक-एक बूंद पानी इकट्ठा करके आपके खेतों तक पहुंचाया जाता है यह पानी बहुत ही मूल्यवान है। इसकी एक-एक बूंद को बचाना और उसका सदुपयोग करना हम सबका कर्तव्य है। इसे दुरुपयोग से बचाये।

2. नहरों को काटना, बन्धा लगाना, कुलावे उखाड़ना या उपर नीचे करना फर्जी कुलावे लगाना, नहर की पटरियों को खलिहान बनाना, पटरियों पर जानवर बांधना गोबर व कूड़ा-कबाड़ डालना पुलों के पैरापिट व छत तोड़ना नहरों के गेटों को अपनी मर्जी से उठाना या बन्द करना, पेड़ काटना आदि अनुचित कार्य है। इससे नहरों की छति होती है। जिससे आपके खेत तक पानी पहुंचाने में बाधा होती है। इस प्रकार का कार्य कैनाल एक्ट सन् 1873 की धारा 70 के अन्तर्गत अपराध है।

3. खेतों को पानी देने के साथ-साथ रासायनिक खाद और कम्पोस्ट खाद या हरी खाद भी आवश्यक है। इससे जमीन में उर्वरा शक्ति बनी रहती है और पैदावार दो गुनी होती है।

4. कृषक को चाहिए कि अपनी गूलों को ठीक एवं साफ दषा में रखे गूल ठीक दषा में न रहने पर इसमें पानी बन्द किया जा सकता है। कुलावे से पानी लगाने के बाद कुलावा बन्द कर दे।

5. कमाण्ड के कृषक को चाहिए कि अपने खेतों की सिंचाई होने या न होने की दषा में दर्ज करने वाले सम्बन्धित कर्मचारी से दर्ज जानकारी जमाबन्दी के पूर्व कर ले। किसी प्रकार की त्रुटि पर सम्बन्धित अधिषासी अभियन्ता को लिखित प्रार्थना पत्र देकर ठीक करा ले।

6. नये कुलावों की मांग, कमाण्ड विभाजन, दहन, नया स्थान आदि के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता को प्रार्थना पत्र दे।

7. यदि किसी खेत का कुछ भाग नहर से सींचा गया हो और कुछ भाग अन्य साधन से सींचा गया हो और उनके बीच में 6 इंच ऊंची मेढ नहीं है तो पूरे खेत पर नियमानुसार नहरों से सिंचाई कर लगाया जायेगा।

8. डुमरियागज पम्प नहर का परिचालन विद्युत पर आधारित है विद्युत की अनुपलब्धता एवं पम्पों के खराब होने से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए सिंचाई विभाग जिम्मेदार न होगा।


पत्रांक : /स0न0ख0-बां0/रोस्टर/दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2 बस्ती।
2. मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-द्वितीय, सिंचाई विभाग उ0 प्र0 गोण्डा।
3. समस्त सम्बन्धित मण्डल एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी माननीय संसद सदस्य, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुख तथा ग्राम प्रधान एवं कृषकगण

हस्ताक्षर

(इं0 एन0पी0 सिंह)
अधीक्षासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड-6, बस्ती



“सरयू परियोजना” सिंचाई विभाग उ0 प्र0 गोण्डा

(इं0 एन0पी0 सिंह)
अधीक्षासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड-6, बस्ती

(इं0 कुलदीप कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2
बस्ती